भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3291

दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

पश्चिम बंगाल की जनजातीय बस्तियों में विद्युतीकरण की स्थिति

3291. श्री सौमित्र खान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल की जनजातीय बस्तियों में विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति जिला-वार क्या है;

(ख) चालू वर्ष और गत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कितनी धनराशि वर्षवार आवंटित और उपयोग की गई; और

(ग) पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाया है, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 22 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, सौभाग्य के अंतर्गत, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 7,32,290 घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी

न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासी घरों को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य योजना के माध्यम से पीएम-जनमन के अंतर्गत चिह्नित किए गए कुल 3,372 आदिवासी घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों अर्थात पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी), आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को जारी की गई निधियां निम्नानुसार है:

	वित्त वर्ष 21	**वित्त वर्ष 22**	**वित्त वर्ष 23**	**वित्त वर्ष 24**	**वित्त वर्ष 25**	**कुल**
जारी की गई निधियां (करोड़ रूपये में)	594	631	73	221	601	**2,120**

****